



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232730
CG-DL-E-19012022-232730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]
No. 240]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 244(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 367 के भवन (चौड़ाई/चार लेन, आदि) के रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-367 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	असिस्टन्ट कमिषनर (बागलकोट सब-डिविज़न)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH367 के कि.मी. 104.794 से 155.149 तक	कर्नाटक	बागलकोट	बागलकोट	1 अनादिनि
						2 केसानूर
						3 वीरपुर
						4 मुरानाली
						5 गद्दनाकेरी
						6 मल्लापुर
						7 होनाकट्टी
						8 बेविनामट्टी
						9 कसाबा बगलाकोट
						10 शिरूर
						11 बगलाकोट
					गुलेडागड्डा	1 असंगी
						2 पार्वती
						3 कटिगनाहल्ली
						4 कोटनालि
						5 पट्टकल
						6 नागराल एस.पी
						7 सुब्बालाहुनाशी
						8 लायागुंडी
						9 हराडोलि
						10 हलादूरी
						11 बुदनागड्डो

[फा. सं. RW/BNG/KNT/NH-367]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 244(E) — In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Building (Widening/four-laning, etc.) maintenance, management and operation of the National Highway No.367 (NH367) in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH367 in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Assistant Commissioner (Bagalkot Sub-Division)	104.794KM To 155.149KM	KARNATAKA	BAGALKOT	Bagalkot	1 Anadinni
						2 Kesanur
						3 Veerapur
						4 Muranal
						5 Gadddhanakeri
						6 Mallapur
						7 Honnakatti
						8 Bevinamatti
						9 Kasaba Bagalakote
						10 Shirur
						11 Bagalakote
					Guledhagudda	1 Asangi
						2 Parwati
						3 Katiganahalli
						4 Kotnalli
						5 Pattadakal
						6 Nagaral.S.P
						7 Subbalahunashi
						8 Layagundi
						9 Haradolli
						10 Haladur
						11 Budanagad

[F. No. RW/BNG/KNT/NH-367]

RAJESH GUPTA, Director